नाम न्यायालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट : आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम

भगवान बनाम मोतीराम

केस संख्या : 50/2016 दावा

केस संख्या		
	14.2.2022	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप० प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रा० पत्र O7R11 CPC की प्रति दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र O7R11 CPC हेतु दिनांक 21-2-2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	21/2/2022	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर [illegible] स्थगित किए जाने से पत्रावली [illegible] दिनांक 24-2-2022 को पेश हो।
	24/2/2022	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप० उभय पक्ष अधिवक्ता को प्रा० पत्र O7R11 CPC पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र O7R11 CPC हेतु दिनांक 14-3-2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	14-3-2022	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप० प्रा० पत्र O7R11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 50/2016 वाद प्रस्तुति दिनाक : 18.02.2009

भगवान पुत्र राधेश्याम जाति अग्रवाल, निवासी – प्लोट नम्बर– 8/122, विद्याधर नगर जयपुर (राजस्थान)

महेश पुत्र भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल निवासी – 1189, खेजडों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर (राजस्थान)

.... वादीगण

बनाम

मोतीराम पुत्र श्री हरफूल जाति बलाई, निवासी– ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर (राजस्थान)

.........प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

(1) श्री शिखर चंद जैन अधिवक्ता – वादी की ओर से
(2) श्री संजय शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या – 1 ओर से

दिनांक:– 14.03.2022

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी मोतीराम की ओर से 30.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र बावत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. 1908 प्रस्तुत किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम मोटू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित अपनी खातेदारी मे अंकित भूमि साबिका खसरा नम्बर 99/4 रकबा ... बीघा से बनाये गये वर्तमान खसरा नम्बर 203 रकबा 0.33 है0 व 204 रकबा 0.93 है0 ,कुल किता 2 रकबा 1.26 है0तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में अंकित भूमि साबिका खसरा नम्बर 99/292 रकबा 3 बीघा 10बिस्वा से बनाये गये वर्तमान खसरा नम्बर 198 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

0.12 है0,205 रकबा 0.46 है0,199 / 873 रकबा 0.10 है0,203 / 871 रकबा 0.10 है0204 / 872 रकबा 0.05 है0 एवं 406 / 874 रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.88 है0 के समबन्ध में घोषणा निष्कासन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया है। वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा साबिका खसरा नम्बर 99 / 292 से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 203 / 871 रकबा 0.10 है0 एवं 204 / 872 रकबा 0.05 है0 कुल 0.15 है0 को प्रार्थी / प्रतिवादी एवं इनके हकपूर्वाधिकारी के नाम गलत अंकित किये जाने का कथन करते हुए उक्त भूमि से प्रार्थी / प्रतिवादी के बेदखल कर स्वयं कब्जा करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादीगण भूमि साबिका खसरा नम्बर 99 / 4 रकबा 5 बीघा को मेट्रिक प्रणाली मे परिवर्तित करने पर उसका क्षेत्रफल 1.26 है0 होता है जो वादीगण की खातेदारी मे विधिवत अंकित है तथा मौके पर वादीगण 1.26 है0 पर वर्तमान में काबिज भी है। वादीगण ने जिस 0.15 है0 भूमि से मिन प्रतिवादी का निश्कासन चाही है उस भूमि को राज.काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत विधिवत निर्णय के उपरांत तहसीलदार आमेर ने दिनांक 27.10.2008 को खसरा नम्बर 203 / 871 एवं 204 / 872 की कुल 0.15 है0 भूमि से वादीगण को बेदखल कर प्रार्थी / प्रतिवादी को कब्जा संभलाया था जिसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.05.2009 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.01.2018 के द्वारा पुष्टि करते हुए उक्त निष्कासन को पूर्णतया विधि सम्मत माना है।

प्रार्थी / प्रतिवादी को उसकी खातेदारी की भूमि ख्सरा नम्बर 203 / 871 एवं 204 / 872 की कुल 0.15 है0 से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गयेवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इसलिए वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की उपनियम (डी) के तहत निरिस्त किये जाने योग्य है।

यह कि धारा 183 (डी) राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्व प्रसारित विधि सम्मत निर्णय दिनांक 27.10.2008 दिनांक 28.5.2009 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.01.2018 के पश्चात विचाराधीन के इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

[illegible] स्वीकारोक्तियों यथा विवादित भूमि के साबिका ,खसरा नंबर 99 [illegible] 4 [illegible] बीघा 17बिस्वा थे,जो कालान्तर मे अनेक व्यक्तियों को आवंटित एवं नियमित [illegible] तथा उसके अनेक खसरा नंबर बनाये गये तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर अनेक व्यक्ति काबिज है किन्तु इसके उपरान्त भी वादीगण ने सम्पूर्ण भूमि के नवीन खसरा नंबर एवं खातेदारी का कोई विवरण वाद पत्र में अंकित नही किया हैं तथा ना ही वाद पत्र मे सम्बन्धित

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

आवश्यक व्यक्तियो को पक्षकार ही नही बनाया गया है। इसलिए उक्त वाद Bogus-Litigation की श्रेणी में आने की वजह से विधि द्वारा वर्णित प्रकिया के विरूद्व न्यायिक दोष से ग्रसित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 का जवाब पेश किया, प्रतिवादी को प्रति उपलब्ध करवाई गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से लिखे है सही है स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार लिखे है गलत है, स्वीकार नही है। राजस्व रिकार्ड में वादी गण के पूर्व में अंकित अनुसार रकबा वर्तमान में सही अंकित किया गया है। परन्तु तहसीलदार आमेर द्वारा अपनी आज्ञा दिनांक 27.10.2008 के माध्यम से उसके कब्जे व खातेदारी की भूमि मे से 15 बिस्वा पर अनाधिकृत कब्जा मानते हुए बेदखल कर दिया गया इसलिए वादीगण ने घोषणा का यह वाद प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार लिखे है गलत है स्वीकार नही है। तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 27.10.2008 को पारित आज्ञा से पूर्व आपत्ति के बाद भी उनके द्वारा वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि की कोई नाप नही करवाई गई , यह सुनिश्चित किये बिना ही कि वादी अपनी खातेदारी की भूमि 1.26 है0 से अधिक पर काबिज है। बिना किसी आधार के 15 बिस्वा भूमि को खसरा नम्बर 203 / 871 व खसरा नं. 204 / 872 का भाग मानकर 0.15 है0 भूमि से बेदखल करने की आज्ञा दी है। तहसीलदार की आज्ञा राजस्व मण्डल तक यथावत रहने का कतई यह अभिप्राय नही है। कि वादीगण जो कि अब वर्तमान में उनकी खातेदारी में अंकित 1.26 है0 से यदि कम भूमि पर काबिज है तो वह कमी रकबें की पूर्ति कराने से वचिंत हो गये है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने Special Leave Petition (Civil) NO. 4483 of 1977 D/d 14-10-1977, 1977 AIR (SC) 2421 व वादी अधिवक्ता ने RRT 2013 (1) 685 R.H.C (B), DNJ 2015 242 S.C AND 2007-08 DNJ 251 (SC)(SUPPL), 2008 DNJ (1) 166 (R.H.C), 2020 DNJ(3) 849 (R.H.C), 2012 RRT (2) 1056 (R.H.C), 2021 8.C.C.C 323 S.C AND 2010 DNJ(1) 190 RAJ (R.H.C) पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादी [illegible] की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का कथन है कि वाद में [illegible] पूर्व में भी एक वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसका अंतिम निस्तारण माननीय राजस्व मंडल अजमेर जयपुर द्वारा दिनाकं 17.01.2018 को किया जा चुका है एवं पूर्ववर्ती वाद के सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन रहने के दौरान ही वादी द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

किया गया है। वादी द्वारा पूर्व में समस्त न्यायालयों मे असफल रहने के उपरान्त भी हस्तगत वाद बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधि वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसके विपरित वादी द्वारा यह प्रकट किया गया है कि हस्तगत वाद मात्र वादी के अभिलिखित रकबे को उद्घोषित करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है एव वादी स्वयं की भूमि की चर्तुसीमा तय करवाये जाने का अधिकारी है। इस हेतु वाद प्रस्तुति बाबत वादी विधिवत अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। उभयपक्ष के तर्क सुने गये, बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि पूर्व में प्रतिवादी मोतीराम द्वारा वादी पक्ष के विरूद एक वाद प्रस्तुत किया गया था जिसक निस्तारण अंततः माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा दिनांक 17.01.2018 को किया जा चुका है। पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहने के दौरान ही हस्तगत वाद वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण द्वारा प्रमुखतः स्वयं की आराजीयात की सीमाओं के बाबत् अनुतोष चाहा गया है। वर्तमान वाद मे विचाराधीन बिन्दुओं का पूर्ववर्ती वाद से ही निर्णय किया जा चुका है। वादी द्वारा इस वाद में वर्णित आधारों को पूर्ववर्ती वाद में प्रस्तुत नही किया गया था। विधि अनुसार पक्षकार गणों को एक ही विवाद बिन्दुओं के विषय में समस्त आधारों को एक ही प्रकरण में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संदर्भ में बार–बार विधिक कार्यवाहियां प्रस्तुत नही की जा सकती है। वादी के निवेदन पर प्रकरण से संबंधित तहसील द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। जिसके प्रतिवेदन से भी वादपत्र के तथ्यों का प्रमाणीकरण नही होता है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के मत मे वादीगण द्वारा प्रक्रिया का दुरूपयोग कर पूर्ववर्ती वाद के अपीलीय न्यायालयों में विचाराधीन रहने के दौरान ही यह वाद बिना किसी विधिक आवश्यकता के प्रस्तुत किया गया है। जो स्पष्टतया ResJudicata के सिद्वांत से विधि बाधित है। यह न्यायालय पूर्ववर्ती निर्णयों में आज किसी प्रकार से संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकारी नही है। वाद पत्र के चरण संख्या 3 के तथ्यों के विषयान्तर्गत अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु यह न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 17.01.2018 के क्रम में विधि अनुसार सशक्त नहीं है। उक्तानुसार प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner